भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2997

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय

2997. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त महाविद्यालयों को राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य को और अधिक समावेशी और वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि हिस्सेदारी की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, आदिवासी जिलों में 38 मेडिकल कॉलेजों सहित सभी विचाराधीन 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश में 03 मेडिकल कॉलेज (पिदुगुराल्ला, पडेरू और मछलीपट्टनम) को भी मंजूरी दी गई है। उनमें से पडेरू और मछलीपट्टनम में मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण तथा लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। यह मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण और

आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कराने में सहायता करता है।

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर, 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पहले के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने की घोषणा की। एएएम पोर्टल में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदलकर कुल 1,74,966 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और 31.10.2024 तक इनका संचालन शुरू हो गया है, जिनके तहत निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं समेत स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण 12 सेवाओं के पैकेज के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला सार्वभौमिक तौर पर नि:शुल्क और समुदाय के निकट प्रदान की जाती है।

प्रचालनरत एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाओं से लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वास्तविक रूप में वहां पहुंचने, स्वास्थ्य परिचर्या की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी और स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने संबंधी समस्याएं नहीं रहती हैं। दिनांक 31.10.2024 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयुष्मान मेलों सहित कुल 29.66 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 64,180 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत की। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किया जा सके।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के करीब सुलभ और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) में कमी आती है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएँ (उप-केंद्रों पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण) निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों की ओओपीई को कम करने के लिए सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है। इसमें एसएचसी स्तर पर 106 दवाओं, पीएचसी स्तर पर 172 दवाओं, सीएचसी स्तर पर 300 दवाओं, एसडीएच स्तर पर 318 दवाओं और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता शामिल है।

******